कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या सं.रा.भा.स./ मास्टर फाइल/2016 1002 दिनांक 25 MAY 2018

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.स.प्र.)

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण- के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री देवेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रेषित पत्र सं. ई-15013/2/2018 - रा.भा.नी. दिनांक 18.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान किसी असहज / अप्रिय स्थिति या समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों से बचने के लिए, जिन बिंदुओं पर प्रत्येक कार्यालय द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है, उनका उल्लेख उक्त पत्र में किया गया है।

अत: अनुरोध है कि इन मदों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जिससे कि भविष्य में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों में किसी अप्रिय/असहज स्थिति से बचा जा सके।

कृपया उपर्युक्त संबंध में कृत कार्रवाई से मुख्यालय को भी अवगत कराएं ताकि तदनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचित किया जा सके।

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

25/5/18

(के.एल. गोयल)

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त, (मुख्यालय) एवं प्रभारी राजभाषा

फा. सं.ई-15013/02/2018- रा.भा.नी.

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

...

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 18.05.2018

सेवा में

कार्यालय अध्यक्ष
सभी अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त कार्यालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के संबंध में।

महोदय/महोदया

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त कार्यालयों के मुख्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों आदि का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करती रहती है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा निरीक्षण के दौरान किसी असहज स्थिति से बचने के लिए निम्न बिन्दुओं पर प्रत्येक कार्यालय द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है:

1. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिलाकर हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त बनाया जाए तथा पात्रता प्राप्त करने पर कार्यालयों को नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करके नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिश: आदेश जारी करके हिन्दी में कार्य करवाया जाए।
2. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।
3. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएं।
4. सभी कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय से संबंधित नियमावली/कोड/मैनुअल द्विभाषी रूप में रखें जाएं।
5. कार्यालय से संबंधित रजिस्टरों के प्रारूप, शीर्षक, नामपट तथा रबड़ की मोहरें इत्यादि द्विभाषी रूप में रखे जाएं तथा रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कम्प्यूटर हिन्दी समर्थित हों तथा कम्प्यूटरों पर हिन्दी कार्य को बढ़ाकर वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।
7. अपने कार्यालय की वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी रूप में रखा जाए ताकि मंत्रालय एवं विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके।
8. कार्यालय में उपलब्ध लिपिकों/टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण दिलाकर उनसे कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य लिया जाए।

599
25/5/18

कृपया पूर्ण अनुपालन/त्वरित कार्रवाई के अनुरोध सहित समस्त कार्यालयों को प्रति भेजें। 25/5/18

श्रीमती सुनीता चौहान

9. पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित राशि की न्यूनतम 50% राशि हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जाए।
10. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार आदि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
11. सितम्बर माह के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाए तथा पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिता विजेताओं को एक उचित पुरस्कार राशि दी जाए।
12. सेवा अभिलेखों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जांए।
13. राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन हेतु जांच बिन्दु बनाए जांए तथा उन पर कार्रवाई की जाए।
14. राजभाषा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए तथा कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक सुनिश्चित की जाए।
15. प्रत्येक कार्यालय सुनिश्चित करे कि वह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य हो तथा कार्यालय प्रमुख समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।
16. कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में कराया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी इन कार्यशालाओं में भाग लें।
17. कार्यालय स्तर पर विज्ञापन जारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि विज्ञापन और प्रचार पर किए जाने वाले खर्च की न्यूनतम 50% राशि हिन्दी में विज्ञापन पर खर्च की जाए।
18. उच्च अधिकारियों द्वारा बैठकों में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि हिन्दी भाषा को बढ़ावा मिल सके। कार्यालय प्रमुख द्वारा भी हिन्दी में पत्राचार किया जाए।
19. राजभाषा संबंधी सभी रिक्त पदों को तत्काल आधार पर भरा जाए ताकि राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का कार्यान्वयन अपने मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सुनिश्चित कराएं तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से मंत्रालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

देवेन्द्र 18/6/18

(देवेन्द्र सिंह)
आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 23710446